



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 2888 सन् 2026

नीरज

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अतुल तेज कुलश्रेष्ठ, विनय सिंह

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल तेज कुलश्रेष्ठ और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने प्रतिरोध में एक बयान दिया है कि उनके पास निर्देश उपलब्ध हैं और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, तथा रिट याचिका के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाए। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता एक खिलाड़ी है जिसने 19वें एशियाई खेलों (हांगजो-2022) में रजत पदक जीता है। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 25.05.2022 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 को अधिसूचित किया गया। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि नियम 8 नियुक्ति के मानदंडों से अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंधित है जिन्हें परिशिष्ट क, ख और ग में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी 1 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने ओलंपिक/पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के साथ-साथ एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उन उम्मीदवारों को खंड विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, के पद आरक्षित किए जाने हैं, जबकि जहां तक श्रेणी संख्या 2 का संबंध है, यह विश्व कप, एशियाई खेल/राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है, जिसमें उम्मीदवार या खिलाड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया है, ऐसे में परिशिष्ट 'ख' के अनुसार इस श्रेणी के लिए जिला युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का पद निर्धारित किया गया था और अंत में श्रेणी 3 विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप और एशियाई खेलों/राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, जिसमें खिलाड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है और फिर परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित पद यात्री कर/माल कल अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी और नायब तहसीलदार का पद निर्धारित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता ने एशियाई खेल-2022 में रजत पदक प्राप्त किया है, यद्यपि, श्रेणी 2 परिशिष्ट 'ख' से संबंधित पद को 18.09.2024 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर विज्ञापित नहीं किया गया है, यद्यपि श्रेणी 1 और श्रेणी 3 से संबंधित पद परिशिष्ट क और ग का होने के कारण विज्ञापित किया गया है। इस प्रकार, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता प्रतिष्ठित खिलाड़ी है जिसने एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त किया है, इसलिए वह चयन और नियुक्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने का हकदार है और रिट याचिकाकर्ता स्वयं श्रेणी 3 परिशिष्ट ग के अंतर्गत आने वाले पद के लिए विचार करने के लिए सहमत है, भले ही रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त पदक के अनुसार यह पद रैंक में कम है।

4. यद्यपि इस याचिका में निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खेल भवन, लखनऊ द्वारा जारी दिनांक 18.09.2024 को जारी आक्षेपित विज्ञप्ति/अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा अपने दावे पर विचार करने के लिए अपनी राहत को सीमित रखता है क्योंकि रिट याचिकाकर्ता उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता चाहता है।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने प्रस्तुत किया कि हो सकता है कि रिट याचिकाकर्ता सहमत होने का दावा करता है जिसने एशियाई खेल-2022 में रजत पदक प्राप्त किया है, लेकिन चयन और नियुक्ति विज्ञापन और नियमों पर आधारित है और, यदि जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी का कोई पद उपलब्ध नहीं है तो रिट याचिकाकर्ता चयन और नियुक्ति के लिए जोर नहीं दे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सकता है। यद्यपि, वह प्रस्तुत करते हैं कि यह रिट याचिकाकर्ता का काम है कि वह उत्तरदाता संख्या 2 से संपर्क करे।

6. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के साथ-साथ रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए अपनाए गए रुख और विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा अपनाए गए इस रुख को ध्यान में रखते हुए कि रिट याचिकाकर्ता के लिए द्वितीय उत्तरदाता से संपर्क करना हमेशा खुला है, यह न्यायालय इस मामले में गहराई से विचार किए बिना इस रिट याचिका का निस्तारण करता है, साथ ही रिट याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह उत्तरदाता संख्या 2, निदेशक, खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खेल भवन, लखनऊ से संपर्क करके रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक व्यापक अभ्यावेदन दायर करें और उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, उत्तरदाता संख्या 2, दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता की शिकायत पर निर्णय लेगा।

7. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

फ़रवरी 25, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"